क्रम-संख्या–39

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–
डब्लू/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025

फाल्गुन 9, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1

संख्या बी-1–289/दस-2025-14-1-2006

लखनऊ, 28 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–19

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2004) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये नियम 3क का बढ़ाया जाना

2– उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियमावली, 2006 में विद्यमान नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"सरकारी प्रत्याभूतियों पर अधिकतम सीमा धारा 4 (3) (ङ)

3(क) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, कंपनियों अथवा सहकारी निकायों अथवा उसके प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन किसी अन्य इकाई को किसी वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की कुल धनराशि द्वितीय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. B-1-289/X-2025-14(1)-2006, dated February 28, 2025:

No. B-1-289/X-2025-14(1)-2006
Dated Lucknow, February 28, 2025

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (U.P. Act no. 5 of 2004) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

Insertion of new rule 3A

2. In the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006 *after* the existing rule 3, the following new rule shall be *inserted,* namely :–

"Ceiling on government guarantees Section 4 (3) (e)

3A. The total amount of guarantees that may be given by the State Government to the Public Sector undertakings, Corporations, Companies or Co-operative Bodies or any other entity under its administrative and financial control in a financial year shall not exceed fifteen percent of actual receipts from the State's own tax revenue in the second preceding financial year."

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 535 राजपत्र–2025–(1442)–599– (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

535 RPH-2025 (vitt service anu-2 folder) data -4e